



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-141

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 280736 दिनांक 04/02/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Layout Plan Approval जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Ved Prakash Maharishi S/o Nathu Lal Maharishi एवं Rakesh Choudhary S/o HARI KRISHAN CHOUDHARY	श्री गोपाल पुत्र कल्याण					Layout Plan Approval	आवेदक वेद प्रकाश महर्षि पुत्र श्री नाथूलाल महर्षि एवं श्री राकेश चौधरी पुत्र श्री हरिकृष्ण चौधरी द्वारा ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर के पुराने खसरा नम्बर 114, 115/570, 656/113 हाल खसरा नम्बर 748/114, 732/656, 738/115 क्षेत्रफल 1920 व0मी0 का मानचित्र जारी किये जाने आवेदन किया गया है। ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 114, 115/570, 656/113 कुल क्षेत्रफल 1.125 हैक्टेयर भूमि की 90ए आदेश दिनांक 13.05.2024 को आवासीय



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रयोजनार्थ श्री गोपाल पुत्र कल्याण के हक में जारी किये गये थे। तत्पश्चात श्री गोपाल पुत्र कल्याण द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.05.2024 के माध्यम से 90ए शुदा भूमि को मैसर्स गणेशम् बिल्डर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जरिये गिरधारी लाल को विक्रय किया गया है। तत्पश्चात मैसर्स गणेशम् बिल्डर्स द्वारा उक्त भूमि का बेचान पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.05.2024 के माध्यम से वेद प्रकाश महर्षि पुत्र श्री नाथूलाल महर्षि एवं श्री राकेश चौधरी पुत्र श्री हरिकृष्ण चौधरी को किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में भूमि की 90ए की कार्यवाही एक वर्ष से ज्यादा व्यतीत होने एवं 90ए शुदा भूमि क्षेत्रफल 1.125 हैक्टेयर भूमि में से 1920 व0मी भूमि के मानचित्र अनुमोदन हेतु दो विक्रय पत्रों के आधार पर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आवेदन प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रकरण में विज्ञप्ति जारी किये जाने के आदेशार्थ प्रस्तुत है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Layout Plan Approval जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Ved Prakash Maharishi S/o Nathu Lal Maharishi एवं Rakesh Choudhary S/o HARI KRISHAN CHOUDHARY को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |